विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–25 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
25(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गिरोह के खिलाफ जनपद–लखनऊ के थाना–तालकटोरा में एफ0आई0आर0 संख्या–0141 दिनांक 17.08.2021 पंजीकृत किया गया है?	जी हां।
(ख) यदि हां, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त एफ0आई0आर0 के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?	थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ पर दिनांक 17.08.2021 को वादी शीबू पुत्र सैईदुल हसन निवासी–137, मुराउ टोला, विसवा, सीतापुर द्वारा इस आशय की दी गयी तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को कूटरचित दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री करना एवं कब्जा दिलाना तथा अभियुक्ता पूनम सिंह व सुशीला निगम द्वारा मालिकाना हक बताते हुए घर में घुसकर मारपीट की सूचना पर मु0अ0सं0–141/2021, धारा–452/323/420/467/468/471 भादवि बनाम 1–पप्पू निषाद, 2–संतोष कुमार, 3–विनोद कुमार, 4–पूनम सिंह, 5–सुशीला निगम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की तमामी विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया भूखण्ड संख्या–27, खसरा संख्या 38 हरचन्दपुर गढी, कनौरा पर स्थित भवन की वास्तविक स्वामी सुशीला निगम थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। स्व0 सुशीला निगम की गोद ली हुई पुत्री किरन निगम अपनी माँ के जीवनकाल में ही अपनी मां सुशीला निगम को मृत दिखाकर उक्त मकान को पप्पू निषाद, संतोष कुमार व विनोद कुमार को विक्रय कर दिया। पुत्री किरन निगम के क्रिया कलाप से क्षुब्द होकर माँ सुशीला निगम उक्त मकान से अलग जाकर पूनम सिंह के मकान में रहने लगी तथा अपना मकान भूखण्ड संख्या–27, खसरा संख्या–38 हरचन्दपुर गढ़ी कनौरा को पूनम सिंह को वैधानिक रुप से रजिस्ट्री कर दिया गया। उक्त बातों की जानकारी जब किरन निगम से क्रय किये गये क्रेता गण को हुई कि उक्त मकान की मकान स्वामिनी, सुशीला निगम जिन्दा हैं तो उनके द्वारा उक्त मकान वादी मुकदमा शीबू को विक्रय कर दिया गया। वादी मुकदमा द्वारा उक्त मकान पर कब्जा हेतु जाया गया। उसी समय सुशीला निगम से उक्त मकान की क्रेता पूनम सिह पहुँच गयी और विवाद हुआ। इसके उपरान्त वादी मुकदमा द्वारा थाना तालकटोरा, लखनऊ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। तमामी विवेचना से नामित आरोपीगण पूनम सिंह एवं सुशीला निगम की नामजदगी गलत करते हुए धारा–452/323 भादवि का लोप किया गया है। आरोपी किरन निगम का नाम प्रकाश में आया है। अभियोग से सम्बन्धित आरोपी किरन निगम, पप्पू निषाद, संतोष कुमार एवं विनोद कुमार भगे हुए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त भवन को लेकर थाना वजीरगंज में भी पूर्व से अभियोग पंजीकृत है, जो विवेचनाधीन है।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

assembly questions